

सूचना**प्रति. प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद.****उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या- प्रतिष्ठा/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्या: दिनांक 09/08/2021

सूचना

प्रतिष्ठित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कायदा काउंसिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा संचालित वर्ष 2021-22 हेतु विदेशी भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विवरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को परिषद भारतीय से सम्बद्धता समिति की बैठक संवला हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विवरण: पाठ्यक्रम, प्रवेश सामग्री वृद्धि सहित अन्य सूची पर विचार करने हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विवरण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निचे सूची निर्णय के अनुसार में विवरण संस्था को प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु नियुक्तिगत सूची के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश प्रक्रिया सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता विवरण प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं पता : 3337-KALICHARAN NIGAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY,NARAINI ROAD, BANDA

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्थाओं/संस्थाओं/संस्थाओं	परिषद द्वारा वर्ष
		द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश सामग्री	2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश सामग्री
1	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु सूची

- ✓ संस्था संस्थाओं/संस्थाओं/संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गयी सभी सूची का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद विनियमों/2016, संशोधित विनियमों/2016 तथा अन्य विनियमों के अंतर्गत का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कायदा पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कायदा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राथमिक कारखानों से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त कारखानों से शुल्क के अभाव में अलग-अलग पर सख्त द्वारा निर्णय किये जाने वाले कारखानों प्रभावी होंगे, और अनुमोदन

कार्यवाही किया जहां आवश्यक होगा। वीस निर्देशन समिति द्वारा यदि वर्ष 2021-22 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो वीस की संसोधन ट्रे जल्द होगी।

- ✓ संस्था को 3090 परिधिक शिक्षा समितियां तथा 39 समितियां, संस्थाओं को संस्कृत किया जहां विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन कराया होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद् द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विचार रख जाने की विधि में उच्च प्रवेश सामान के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्देश सामग्री के अनुसार शिक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00 में अगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जहां आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश सामान द्वारा कल्पे गये विधि-विधान:अधिविधान:सामग्री:निर्देशों एवं निर्देशक, परिधिक शिक्षा, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, 3090 तथा परिधिक शिक्षा परीषद्, 3090 द्वारा कल्पे गये विधान, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के विवेक बनाये होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यालय पदपत्रों की संख्याएं यदि पी.सी.ओ. नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त प्रशासकिय संस्था का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं प्रशासकी होगी। परिधिक शिक्षा परीषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, परिधिक शिक्षा निर्देशकालय एवं परिधिक शिक्षा विभाग उच्च प्रवेश सामान को कोई एक द्वारा किया जाता है तथा एक एक के संस्था में स. ग.पालक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्देश किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को कल्पे होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यालय पदपत्रों में संशोधित करने वाले संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, उच्च प्रवेश परीषद् द्वारा कार्यक लक्षों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यनिर्देश प्राप्त होने के पूर्व पी.सी.ओ.नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त कर परीषद् कार्यवाही को प्रारम्भ कराया होगा अथवा उच्च प्रवेश की (कार्यनिर्देश के अभाव में अथवा संस्था द्वारा पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उच्च प्रवेश समार द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश संसोधन आचार्य विधान का अनुपालन कराया आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, उत्पत्ति, सत्र-सत्र, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण प्रकाशित कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिधान हेतु उपयुक्त साधन प्रकाशित करने के साथ रेगुलर टोर्न के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराये होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ने कि संस्था में पर्याप्त संशोधित पदपत्रों को पालने जाने हेतु शिक्षण समिति के समस्त प्रकाशित कराये गये अधिवेद्य, भूमि-अर्थ, पक्षी-पर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पदपत्रों के संशोधन में प्रयोग किया जाता है और परीषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय शिक्षण टोर्न यदि संस्था में भूमि, अर्थ, पर्यावरण, उपकरण एवं अन्य सत्र-सत्र 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00 के समस्तसूचना प्रकाशित नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर ही जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का अनुपालन किये जाने की विधि में विनियमानुसार

अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(मुनीम कुमार शर्मा)

हविह

सूचं- हविह/पीएड संख्या/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि -

अनुशासनात्मक अधिकारी, KALICHARAN NIGAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NARAINI ROAD, BANDA



(मुनीम कुमार शर्मा)

हविह

द्वारा निर्देश किये जाने पर सम्बन्धित प्रकृति होने, और दस्तावेज कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। पीएम निर्देशन समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु पीएम का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीएम की मर्यादाएं दो गुनी होंगी।

- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्देशन समिति के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्थान द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशन विधिविधान/अधिविधान/साक्षात्कार/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 3090, अनुसूचित प्रदेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा बताने वाले विधयों, विनियमों, अर्हताओं एवं निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निराल किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपलब्धियों संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, अनुसूचित प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशन एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के विषय यदि कोई कदम द्वारा किया जाता है तथा कदम कद के संबंध में आ, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी अर्हता निर्देशन किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को अनुसूचित प्रदेश परीक्षा परिषद, द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित वर्ष प्रवेश हेतु आवंटित काउन्सिलिंग फार्म होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हे प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अभाव पराधीन प्रवेश) अनुमति बटान नहीं की जायेगी।
- ✓ द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु समय-समय पर निर्देशन मर्यादाएं अनुसार विधयों का अनुपालन करना कार्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सत्र-सत्र, उपकरण, प्राप्त किया जाने काल सुनिश्चित, उपलब्ध सुनिश्चित अदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-विकास हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के साथ निर्देशन टोन्स के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक साधन सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ने कि संस्था में पर्यटन/संयोजित पाठ्यक्रम को चलाने उन्हे हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध कराने लगे अतिरिक्त, भूमि-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के माध्यम में प्रयोग किया जाता है और परिषद को सूचना देना पड़ेगी तो कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिकार प्रयोग निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, पर्यटनसाज, उपकरण एवं अन्य सत्र-सत्र ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के समकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता हारों का अनुपालन न किये जाने अथवा हारों का उपलब्ध किये जाने की विधि में निष्कामानुसार अनुपालन/समक कार्यवाही की जायेगी।


(ए०आई०सी०)

अधिक

www.kalicharan.org

www.kalicharan.org KALICHARAN NIGAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY



(REGISTRAR)

www

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।****संख्या - प्राविच/परिषद् सम्बद्धता/2023/12090001****लखनऊ, दिनांक: 12-09-2023****:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं कार्यालयी कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्टाफ तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद् कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक संघट्ट हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्यालयी कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संघट्टों को प्रदात अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अनुक्रम में संघट्टों को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संघट्ट को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संघट्ट का कोड एवं नाम : 3337-KALUCHARAN NIGAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईआईटीएन/एन/सीआईआईटी द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	42	42
2	ELECTRICAL ENGINEERING	42	42
3	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	42	42
4	MECHANICAL ENGINEERING	42	42

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम 3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-30969/2022 दिनांक 18 नवंबर 2023 द्वारा पूर्व से संचालित संघट्टों को जीके के डिप्टी सचिवीय महापाल में प्रेषित किए जायिका संख्या 5027/2023 में सचिवीय महापाल के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संघट्ट अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्यालयी कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्यालयी कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली के शासन के अनुक्रम संख्या में संघट्ट संघट्टन (युनि. भाग, लेख उपकरण) जारी उपलब्ध है।
- ✓ संघट्ट उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एन० 1962 एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमवली 1992, विनियमवली 2000, सेक्टर विनियमवली 2014 एवं संघट्ट संघट्टन पर निर्णय संघट्टों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिको उपकरण से प्राप्त किया जायिका। उपरोक्त के अधीनका उपकरणों से शुल्क के सम्बन्ध में संघट्ट संघट्टन पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले संघट्टों के प्रकृति होने, और तदनुसार कार्यालयी किये जाने आवश्यक होने। जीके निर्धारण समिति द्वारा किये सत्र 2023-24 हेतु जीके का पूर्णतःपालन किया जायिका है, तो जीके की नवीकरण दी लागू होगी।

- ✓ संघ में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने की ही प्रवेश दिए जाएंगे।
- ✓ संघ को समस्त समस्त पर निर्भरता समस्त के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्ध सुचारु रूप में कार्य होगा।
- ✓ संघका उच्च प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्भरता निर्दिष्टता/अभियन्ता/समस्त/परिचालन एवं निर्देशक, प्रशासनिक विभाग, 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्रशासनिक विभाग परिषद, 2000 द्वारा करने में निर्भरता, निर्दिष्टता, आदेश, निर्देशों का कार्य करने के लिये कार्यकारी है।
- ✓ यदि संघका का अधिक भारतीय तकनीकी विभाग परिषद/कमीटी/कार्यपालिका और दृष्टिक, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संघ में समस्त उपस्थितित संघ का होगा और निर्दिष्ट रूप से किसी भी कार्यकारी के लिए संघ का उपस्थितित होगी। प्रशासनिक विभाग परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रशासनिक विभाग निर्देशालय एवं प्रशासनिक विभाग विभाग उच्च प्रवेश परीक्षा के निर्देश यदि कोई कार्य प्राप्त किया जाता है तो यह कार्य कार्य के संघ में न, परामर्श द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्दिष्ट किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संघ को कार्य होगी।
- ✓ संघ/ओ को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश एवं के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजितित प्राप्त होने के पूर्व अधिक भारतीय तकनीकी विभाग परिषद/कमीटी/कार्यपालिका और दृष्टिक, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यपालिका को उपस्थित कराना होगा अन्यथा उच्च प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश हेतु समस्त समस्त पर निर्भरता समस्त अनुसार निर्देशों का अनुमोदन कराना कार्यकारी होगी।
- ✓ संघ को अपने केस/उच्च तथा प्रशासनिक विभाग के सुधार/उच्च परीक्षा पर संघ की समस्त सुचारु जैसे संघ की प्रशासनिक पृष्ठ भूमि, प्रशा, समस्त, समस्त, उपस्थित, प्राप्त किया जाने वाला सुचारु, प्रशासनिक सुचारु अदि का विचार उपस्थित कराना होगा।
- ✓ संघ को निर्देश/प्रशासन हेतु अनुमोदन समस्त उपस्थित करने के साथ निर्देश देने के संघ में समस्त अनुसार समस्त सुचारु/संयुक्त कार्य होगी।
- ✓ संघ का सुचारु/संयुक्त हे तो कि संघ में प्रशासनिक/प्रशासनिक परामर्श को करने जाने हेतु निर्देश/संयुक्त के समस्त उपस्थित करने में अधिकार, भूमि, प्रशा, कमीटी, उपस्थित/दृष्टिक का यदि संघ द्वारा किसी अन्य परामर्श के संयुक्त में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी कार्यकारी होगी है कि संघ उपस्थित का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त संघ की सम्बद्धता समस्त किये जाने की कार्यकारी की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रवेश प्रशासनिक विभाग (परिचालन और उपस्थितित), संघ/ओ का सम्बद्ध किया जाता; निर्देशपालिका, 2000 के प्रशासनिक/संयुक्त परिषद को मता पर अपने कार्यकारी, प्रशा/ओ और कमीटी को परिषद को परीक्षा के संयुक्त के लिए परिषद के अधिकार में रखती।
- ✓ संघ के अधिकार/संयुक्त निर्देश के दौरान यदि संघ में भूमि, प्रशा, प्रशासनिक, उपस्थित एवं अन्य समस्त समस्त परामर्श/संयुक्त/परिषद/परिषद के समस्त/संयुक्त उपस्थित नहीं प्राप्त जाता है तो संघ की सम्बद्धता समस्त का ही कार्यगी।
- ✓ सम्बद्धता कार्य का अनुमोदन न किये जाने अन्य कार्य का उपस्थित किये जाने की निर्दिष्ट में निर्देश/संयुक्त अनुमोदन/संयुक्त कार्यकारी की जाएगी।



(अनील कुमार सिंह)

सचिव

पृष्ठ सं. प्रशासनिक/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि-

प्रशासनिक/निदेशक KALICHARAN NIGAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY



(अनील कुमार सिंह)

सचिव